गोपनीय प्रपत्र–51

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय प्रायोगिक परीक्षा 2024
के लिये शाला प्रधान व परीक्षकों (विषय अध्यापक) के लिये प्रकिया/नियम-निर्देश

अनुक्रमणिका (INDEX)

क्र.सं.	विवरण / विषय	विषय कोड	परीक्षा	पृष्ठ संख्या
1.	प्रक्रिया / नियम निर्देश	–	उच्च माध्यमिक / वरि.उपा.	01–05
2.	COMPUTER SCIENCE	03	उच्च माध्यमिक	06 से 10
3.	INFORMATICS PRACTICES	04	उच्च माध्यमिक	11 से 14
4.	भूगोल	14	उच्च माध्यमिक	15 से 18
5.	संगीत	16 व 63–70	उच्च माध्यमिक	19 से 23
6.	चित्रकला	17	उच्च माध्यमिक	24 से 26
7.	गृह विज्ञान	18	उच्च माध्यमिक	27 से 29
8.	मनोविज्ञान	19	उच्च माध्यमिक	30 से 32
9.	भौतिक विज्ञान	40	उच्च माध्यमिक	33 से 44
10.	रसायन विज्ञान	41	उच्च माध्यमिक	45 से 54
11.	जीव विज्ञान	42	उच्च माध्यमिक	55 से 63
12.	कृषि विज्ञान	84	उच्च माध्यमिक	64 से 69
13.	कृषि रसायन विज्ञान	38	उच्च माध्यमिक	70 से 79
14.	कृषि जीव विज्ञान	39	उच्च माध्यमिक	75 से 80
15.	शारीरिक शिक्षा	60	उच्च माध्यमिक	81
16.	पर्यावरण विज्ञान	61	उच्च माध्यमिक	90
17.	परीक्षा विवरण प्रपत्र (सभी विषयों के लिये)	–	उच्च माध्यमिक / वरि.उपा.	91
18.	परीक्षार्थी उपस्थिति पत्रक (सभी विषयों के लिये)	–	उच्च माध्यमिक / वरि.उपा.	92

अति महत्वपूर्ण / विशेष सूचना

- प्रायोगिक परीक्षाएं प्रपत्र 51 में दिए गए निर्देश एवं पाठ्यक्रमानुसार ही ली जावे। पूर्व में जारी कुछ विषयों के प्रायोगिक पाठ्यक्रमों में आंशिक संशोधन किए गए हैं।

- प्रायोगिक परीक्षाऐं निष्पक्ष एवम् सुव्यवस्थित आयोजित होना आवश्यक है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रभावित किये जाने का प्रयास अथवा सुविधाओं आदि की अथवा प्रलोभन आदि देने की बात की जाती है तो यह सर्वथा अनुचित एवं नियम विरूद्ध है। यदि कोई नियम विरूद्ध अन्यथा गतिविधि होती है अथवा प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है अथवा प्रभावित किया जाता है तो तत्समय अविलम्ब निकटतम पुलिस स्टेशन / भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में लिखित प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) एवं बोर्ड को तथ्यों, आधारों, प्रमाणों सहित ई मेल / दूरभाष पर से अविलम्ब सूचना दें। जिससे नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

- परीक्षा विवरण प्रपत्र (संलग्न पृष्ठ संख्या '91') को परीक्षा आयोजन अवधि में समय–समय पर आवश्यक रूप से पूर्ति करवाकर विद्यालय रेकॉर्ड में रखा जावे। यह शालाप्रधान की जिम्मेदारी रहेगी। आवश्यकता होने पर बोर्ड द्वारा मंगवाया जा सकेगा।

- बोर्ड द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक, बोर्ड नियमानुसार प्रायोगिक परीक्षाएं सम्पन्न कराने के पश्चात्, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालय में नहीं करेगें तथा बैच के विद्यालयों की परीक्षा लेने के तीन दिवस में अंक ऑनलाईन भिजवाएं। ऑनलाईन अंक भिजवाने का लिंक बोर्ड बेवसाईट पर उपलब्ध कराया जाएगा। आवंटित विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाएं सम्पन्न कराने के बाद ऑनलाईन अंक प्रविष्ठि की हार्ड कॉपी, कच्चे अंक एवं उपस्थिति पत्रक बोर्ड को निदेशक गोपनीय के पते पर स्पीड पोस्ट से भिजवाएगें एवं बैच के सभी विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षाएं सम्पन्न कराने के बाद उत्तर पुस्तिकाएं सात दिवस में निदेशक गोपनीय मा.शि. बोर्ड को पैकेट बनाकर उस पर लेबल प्रपत्र संख्या चिपका कर पंजीकृत / रजिस्टर्ड पार्सल से भिजवाएं।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय प्रायोगिक परीक्षा 2024

के लिये शाला प्रधान व परीक्षकों (विषय अध्यापकों) के लिये प्रक्रिया/नियम-निर्देश

सामग्री प्राप्ति

1) प्रायोगिक परीक्षा आयोजन हेतु उत्तर–पुस्तिकाऐं, ग्राफ पेपर, भूगोल (**Geography**) शीट, चित्रकला (Drawing) शीट आदि सामग्री निकटतम वितरण केन्द्र (जो बोर्ड परीक्षा के उत्तर–पुस्तिका संग्रहण/वितरण केन्द्र भी होते है) पर भेजी गई है। इसकी सूची/सूचना बोर्ड वेबसाईट पर अपलोड उपलब्ध है। शाला प्रधान संबंधित केन्द्र से सामग्री का पैकेट प्राप्त कर जांच कर लें। यदि प्राप्त सामग्री में कोई कमी हो तो अनुभाग अधिकारी (उ.पु.हॉल) को दूरभाष नम्बर 0145–2623949 अथवा **E-mail - bserconf2018@gmail.com** पर सूचना दें। बोर्ड द्वारा वांछित सामग्री सीधे संबंधित विद्यालय को डाक द्वारा प्रेषित की जावेगी।

2) इन अनुदेशों तथा विषयवार निर्देशों को शाला प्रधान स्वयं, बाह्य परीक्षक, आंतरिक विषय व्याख्याता गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर लें/करवा दें तथा सभी को लिखित में नोट करवा कर सभी सम्बन्धित के अंत में मुद्रित 'परीक्षा विवरण प्रपत्र' आवश्यक रूप से भरकर हस्ताक्षर कर/करवाकर विद्यालय रेकॉर्ड पर रखा जावे। बोर्ड द्वारा आवश्यकता होने पर मंगवाये जा सकते हैं।

3) प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित सभी विषयों के विषयवार अनुदेश बोर्ड की बेवसाईट पर उपलब्ध कराए गए है, इन्हीं के आधार पर प्रायोगिक परीक्षाएं करवाई जानी है। इनमें से जो विषय, शाला से संबंधित है, उन्हें प्रयुक्त कर लें। इन अनुदेशों की प्रति संबंधित बाह्य परीक्षक को भी दे दें तथा परीक्षार्थी को प्रदत्त अंकों से संबंधित विस्तृत विवरण, उपस्थिति पत्रक की आवश्यकतानुसार फोटो प्रतियाँ करवाकर प्रयुक्त कर लें।

परीक्षा आयोजन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश

4) नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाऐं 18–01–24 से 14–02–24 के मध्य आयोजित कराई जानी है। इसमें यदि बोर्ड स्तर पर यथोचित परिवर्तन किया जाता है तो बोर्ड बेवसाईट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

5) प्रायोगिक परीक्षा की तिथियों का निर्धारण हो जाने पर तीन दिन पूर्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) के नियंत्रण कक्ष पर आवश्यक रूप से सूचित करें। यह सूचना शाला प्रधान द्वारा आवश्यक रूप से देनी है। परीक्षा पूर्ण होने पर भी बोर्ड नियंत्रण कक्ष एवं जिला शिक्षा अधिकारी नियंत्रण कक्ष पर सूचना दी जावे। यह अत्यन्त आवश्यक है।

6) उपस्थिति पत्रक :– प्रत्येक विषय की परीक्षा आयोजन के दिन परीक्षार्थियों से उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करवावें। जिसका प्रारूप संलग्न पृष्ठ संख्या 92 पर है। इसकी आवश्यकतानुसार फोटो प्रतियाँ करवा लें। प्रत्येक परीक्षार्थी के नाम के साथ पिता/माता का नाम भी लिख दें तथा नामावली से इस बात की पुष्टि करा लें कि उनके नामांक सही अंकित किये है। परीक्षार्थियों के दल और सूचियां उसी क्रम में बनायें जिस क्रम में उनके नाम बोर्ड द्वारा भेजी गई मुद्रित नामावली में अंकित है। छात्र उपस्थिति पत्रक की एक प्रति विद्यालय में रेकार्ड में सुरक्षित रखे तथा एक प्रति परीक्षक द्वारा बोर्ड को ऑनलाईन किए अंकों की हार्ड कॉपी के साथ भिजवायें। आवश्यकता होने पर कार्यालय द्वारा मंगवाई जा सकती है। नामावली (**Nominal Roll**) बोर्ड वेबसाईट से प्राप्त **Login ID/Password** से डाउनलोड कर प्रिन्ट करवा लें।

7) आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् अन्य विद्यालय से स्थानान्तरण होकर आपके विद्यालय में प्रवेश लेने वाले परीक्षार्थी अथवा विद्यालय के नियमित परीक्षार्थी जिसने आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् (निर्धारित शुल्क जमा करा कर बोर्ड की स्वीकृति से) विषय परिवर्तन किया है तथा परिवर्तित विषय में प्रायोगिक परीक्षा निहित है तो ऐसे परीक्षार्थी की संबंधित विषय की प्रायोगिक परीक्षा (जिससे बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई) भी परीक्षक (विषय अध्यापक) से करवा ले एवम् ऐसे परीक्षार्थियों के अंक आनलाईन/ **Add Roll No.** कर भिजवा दें। ऐसे प्रकरणों की बोर्ड को अलग से लिखित सूचना भी प्रेषित करें तथा विषय परिवर्तन की बोर्ड द्वारा जारी स्वीकृति/शुल्क की रसीद एक प्रति परीक्षक को भी दें।

8) प्रायोगिक परीक्षा आयोजन परीक्षा 2024 के लिए पाठ्यक्रम एवं अंकयोजना, परीक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए ही परीक्षाऐं आयोजित करवाई जावें। विषयवार निर्देश बोर्ड वेबसाईट पर उपलब्ध है।

9) स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं नियमित परीक्षार्थियों के साथ नहीं होकर पृथक से जिला मुख्यालयों पर 15–02–24 से 20–02–24 तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रवेश पत्र एवम् विस्तृत सूचना बोर्ड वेबसाईट पर अपलोड कर प्रकाशित करवाई जाती है।

1. गत वर्षों की प्रायोगिक परीक्षा में अनुतीर्ण रहे परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा के समय अपनी अंकतालिका की प्रमाणित प्रति परीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।
2. कला वर्ग चित्रकला विषय की प्रायोगिक परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों को 60 कालांश का प्रायोगिक कार्य करने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

10) बाह्य परीक्षक स्तर पर किये जाने वाले कार्य –

(1) **i.** बोर्ड बेवसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन लिंक से **Login किया जाएगा।**

ii. **Login** करने हेतु बोर्ड द्वारा परीक्षकों को उसके मोबाइल/ई–मेल पर पासवर्ड भेजा जाएगा।

iii. **Login** के पश्चात **"Fill Practical Marks"** ऑप्शन पर जाकर विषय चयन करने के पश्चात् अंक भरने होगें।

iv. समस्त अंक भरने के बाद सूची मुद्रित करनी होगी। ऑनलाईन भरे अंकों की हार्ड कॉपी बोर्ड द्वारा भिजवाए गए लिफाफे में रखकर स्पीड पोस्ट से निदेशक गोपनीय, मा.शि.बोर्ड राजस्थान अजमेर को भिजवाएं।

(2) **ऑनलाईन पोर्टल पर एक बार में 30 परीक्षार्थियों के रोल नम्बर दर्शाये जावेगें। इन परीक्षार्थियों के अंक भरने के पश्चात् मिलान कर लें कि आपके द्वारा भरे गये समस्त अंक सही रोल नम्बर के सामने अंकित किये गये हैं तथा जांच (Verify) करने के पश्चात् अगले रोल नम्बर दर्शाये जावेंगे। इस प्रकार समस्त अंक ध्यानपूर्वक भरें।**

(3) **समस्त अंक भरने के पश्चात् चेक लिस्ट ऑप्शन से भी आप भरें गये अंकों की जांच कर लें। यदि कोई त्रुटि प्रतीत होती है तो "UPDATE FILL MARKS" ऑप्शन में जाकर सही कर लें। यहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखा जावे कि किसी भी रोल नम्बर में आप इस ऑप्शन के माध्यम से एक बार ही संशोधन किया जा सकेगा। अतः कृपया सावधानीपूर्वक अंक भरें।**

(4) **यदि आपकी स्क्रीन पर रोल नम्बर Online दर्शाये जा रहे है परन्तु परीक्षार्थी अनुपस्थित है, तो इस स्थिति में "Drop Down List" से Absent अंकित करें।**

(5) **यदि आपके पास कोई ऐसा परीक्षार्थी है जिसका रोल नम्बर ऑनलाईन पोर्टल पर नहीं दर्शाया गया है तो "Add New Roll No" ऑप्शन से रोल नम्बर का इन्द्राज कर अंक भर देवे परन्तु वह उसी विषय का होना चाहिए।** इसकी पुष्टि शाला प्रधान से करा लेवें।

(6) **उक्त प्रकार से समस्त कार्य पूर्ण करने के पश्चात् "Lock" ऑप्शन से डाटा Lock कर दें। Lock** किये जाने के पश्चात् अंकों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(7) **अंक भरने का कार्य पूर्ण गोपनीयता के साथ किया जावे। गोपनीयता में किसी भी प्रकार की लापरवाही की समस्त जिम्मेदारी परीक्षक की स्वयं की होगी। गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जावे व इसे प्राथमिकता दी जावे। यह कार्य परीक्षक स्वयं ही सम्पादित करें।**

(8) **गत वर्षों में यह देखा गया है कि परीक्षक ऑनलाईन अंक भर तो देते हैं परन्तु उसको Lock नहीं करते**

है। **अतः कार्य पूर्ण होते ही Lock करने का विशेष ध्यान रखें।** परीक्षक द्वारा **Lock** नहीं किये जाने पर भरे गये अंक अंतिम दिनांक को स्वतः ही **Lock** हो जाएंगे।

(9) **Lock करने के बाद प्रस्तुत अंकों को आप अपने पास सॉफ्ट अथवा हार्ड कॉपी में अपने पास सुरक्षित रख लें। इनकी हार्डकॉपी बोर्ड को लिफाफे में भिजवानी है।**

11) बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं का आकस्मिक निरीक्षण भी कराया जाएगा। इस हेतु बोर्ड अधिकारियों व उड़नदस्ते/निरीक्षण दल गठित किये जाते है। अतः यदि आपके विद्यालय में गठित दल अथवा बोर्ड अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं तो उन्हें निरीक्षण कार्य में पूर्ण सहयोग करें।

12) शाला प्रधान स्वयं भी प्रायोगिक परीक्षाओं का निरन्तर पर्यवेक्षण कर सुनिश्चित करें कि परीक्षाऐं नियमानुसार विधिवत निष्पक्ष सम्पन्न हो रही हैं।

13) परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को केलक्यूलेटर, इलैक्ट्रॉनिक उपकरण यथा टेप रिकार्ड प्लेयर, मोबाईल फोन, सिटी मोबाईल फोन, टेबलेट पेजर आदि इलैक्ट्रॉनिक उपकरण उपयोग करने की अनुमति कदापि नहीं दी जावे। ड्यूटी पर कार्यरत कार्मिकों के पास भी मोबाईल/इलैक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रहने चाहिये। संचार/तकनीकी के क्षेत्र में आई क्रांति के फलस्वरूप ऐसे सूक्ष्म, छोटे और बेतार के उपकरण भी उपलब्ध है जो सहज दिखाई नहीं देते। ऐसे इलैक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग कर परीक्षा व्यवस्था तक प्रभावित कर सकते है। अतः शालाप्रधान इस संबंध में विशेष सजग रहे। केवल शालाप्रधान अपने पास केवल की–पेड वाला मोबाईल रख सकेंगे। परीक्षाओं के समय इन्टरनेट/वाई–फाई आदि भी परीक्षा अवधि मे चालू नहीं रहे इसका भी ध्यान रखा जावे। परीक्षाओं के समय **Whats-App** आदि का उपयोग कर परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास एवम् अनावश्यक/तथ्य रहित सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जा सकता है। अतः इस बाबत विशेष सर्तकता रखी जावे। परीक्षा अवधि में फोटो स्टेट मशीन भी बन्द रखी जावे।

14) परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा की अतिरिक्त कक्षा लगाना, होस्टल चलाना तथा कोचिंग कक्षाऐं चलाने आदि पर पाबन्दी है। यदि विद्यालय में होस्टल चलाना अपरिहार्य हो तो वहां होस्टल की निगरानी हेतु केन्द्राधीक्षक के स्तर पर फील्ड सुपरवाईजर या एक आब्जर्वर वहां लगाया जाए। बोर्ड द्वारा इसका भुगतान देय नहीं होगा।

15) परीक्षा प्रारम्भ से पूर्व केन्द्राधीक्षक अपने मोबाईल में संबंधित पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक, थाना प्रभारी, बीट अधिकारी, शिक्षा अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों आदि के नम्बर नोट (पंजीबद्ध) कर लें ताकि किसी भी प्रकार की सूचना, संबंधित को बिना किसी विलम्ब के दी जा सके एवम् त्वरित कार्यवाही हो सके।

16) बोर्ड वेबसाईट **www.rajeduboard.rajasthan.gov.in** पर भी नवीनतम दिशा निर्देश/प्रक्रिया सूचना आदेश/परिपत्र आदि वर्ष पर्यन्त अपलोड किये जाते है। अतः शालाप्रधान बोर्ड वेबसाईट को भी देखते रहें विशेष रूप से परीक्षा अवधि में नियमित रूप से देखा जावे।

17) परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न–पत्र हल करने हेतु सामान्यतः नीली एंव काली स्याही के पेन का उपयोग कर सकते हैं, परन्तु विशिष्ट प्रकृति के कार्य अथवा प्रश्न–पत्र में निर्देश उल्लेखित हो वहाँ तद्नुसार (यथा पेन्सिल, लाल स्याही एवम् विषयों अनुदेशों में जहां विशिष्ठ अनुमति है) का उपयोग किया जा सकता है। परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका अंकन हेतु लाल स्याही का उपयोग किया जावे।

18) अनुचित साधन :– परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग, दुराचरण, दुर्व्यवहार आदि की रोकथाम हेतु राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 प्रभावी है। इस अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत बनाये जाने वाले प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही की जावे। इस संबंध में परीक्षार्थी व प्रकरण का सम्पूर्ण विवरण देते हुए मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने पर दर्ज करा दें। परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही आप सभी परीक्षार्थियों को इस अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्टतः अवगत करा दें व इनका उल्लंघन किये जाने पर दी जाने वाली सजा व शास्ति की राशि के बारे में भी उन्हें जानकारी दे दें। साथ ही उन्हें यह भी सूचित कर दें कि इसी के साथ–साथ बोर्ड की ओर से भी उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी व नियमानुसार दण्डित होंगे। सूचनापट्ट पर बड़े–बड़े अक्षरों में "अनुचित साधनों का प्रयोग करना, अनुचित सहयोग करना निषेध है, उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक की सजा या ऐसे जुर्माने से जो 2000/– तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा" लिख दें। विस्तृत प्रावधान, प्रक्रिया आदि मुख्य परीक्षा की परीक्षा संचालन निर्देशिका में मुद्रित है।

19) मीडिया :– शाला स्तर पर प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि को किसी प्रकार की जानकारी/वक्तव्य नहीं दें, न ही किसी प्रकार की फोटो लेने दें।

20) शाला प्रधान कृपया ऊपर दिये गये अनुदेशों आदि का ध्यान रखे। परीक्षा समाप्त हो जाने पर वह बोर्ड को कन्ट्रोल रूम पर सूचित करें कि उनके विद्यालय में बोर्ड नियमों के अनुसार परीक्षा सम्पन्न हो गई है। परीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाएं गोपनीय रखें।

21) शाला प्रधान आपात स्थिति में जिनके लिये ऊपर उपबन्ध (**Provision**) नहीं है, अपने विवेकानुसार जिला शिक्षा अधिकारी से विमर्श कर कार्य करके सूचित कर दें। यदि उपर्युक्त अनुदेशों में कोई संदेह हो तो बोर्ड नियंत्रण कक्ष पर जानकारी देकर परामर्श कर लें।

22) यदि किसी राजकीय विद्यालय में समुचित लेब व्यवस्था नहीं है अथवा अन्य कोई कारण हो तो संबंधित विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) से निकटतम राजकीय विद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा करवाने की स्वीकृति प्राप्त कर निकटतम राजकीय विद्यालय में परीक्षाएं आयोजित करवा लेवें।

23) परीक्षा समाप्ति तिथि से प्रायोगिक परीक्षा संबंधित कच्चे मार्क्स (**Detail Marks**) व परीक्षार्थी उपस्थिति पत्रक अधिकतम 03 दिवस में पूर्ति कर बोर्ड को भेजें। प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर पुस्किाएं बोर्ड को आवंटित बैच की समस्त परीक्षाएं लेने के सात दिवस में ऑनलाईल भेजें। बोर्ड को टाट/कपड़े का पैकेट बनाकर उस पर प्रपत्र संख्या –– चस्पा कर बोर्ड को रजिस्टर्ड पार्सल से भिजवाएं।

शुभ कामनाओं सहित !

विशेषाधिकारी
(परीक्षा)